दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल</u>

R - 950 -PBR/14 निगरानी क्र. 14

(32)

स्व0 लाल सिंह चौधरी (मृत)

द्वारा उत्तराधिकारीगण

1. वीरमति देवी पत्नि स्व0श्री लालसिंह चौधरी

आयु लगभग 60 वर्ष धंधा कृषि

2. रामेश्वर सिंह आयु लगभग 33 वर्ष

3 राजेश कुमार आयु लगभग 29 वर्ष

4. दिनेश सिंह आय लगभग 27 वर्ष

क्र. 2 लगायत 4 पुत्रगण स्व0श्री लाल सिंह चौधरी

सभी निवासीगण ग्राम शाहपुर परवलिया सडक

तह0 हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 --- निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

श्री मोहन ठाकुर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 11.3.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 11-3-14

1. म0प्र0शासन

द्वारा नायब तहसीलदार महोदय

तह0 हुजूर जिला भोपाल तह0 कार्यालय

पुराना सचिवालय भवन बैरागढ रोड भोपाल

2. बारेलाल (मृत) द्वारा उत्तराधिकारीगण

(1) कालूराम आत्मज स्व0श्री बारेलाल

निवासी ग्राम सिरारी तह0 श्यामपुर,

जिला सीहोर म0प्र0

19-3-14

(2) सरस्वती बाई पुत्री स्व0 बारेलाल

पत्नि श्री मनीलाल निवासी ग्राम महुपतरई

तह0 रायसेन जिला रायसेन

(3) श्रीमती भगवती बाई पत्नि श्री सनमान सिंह

पुत्री स्व0श्री बारेलाल

निवासी सायर विदिशा रोड तह0 व

जिला रायसेन म0प्र0

(4) श्रीमती शांता बाई पुत्री स्व0श्री बारेलाल

निवासी ग्राम परवलिया सडक

तह0 हुजूर जिला भोपाल

(5) श्रीमती छोटी बाई पत्नि श्री नादान सिंह पुत्री स्व0 बारेलाल निवासी सांची तह0 सांची जिला रायसेन म0प्र0 ---

प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण, माननीय न्यायालय कलेक्टर जिला भोपाल म0प्र0 के प्रकरण क. 14/स्व.निग./10-11 पक्षकारगण - म0प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार तह0 हुजूर जिला भोपाल - आवेदक - विरूद्ध - बारेलाल आत्मज श्री मेहताब सिंह स्व0 उत्तराधिकारीगण द्वारा तुलसीबाई व अन्य एवं लाल सिंह आ0 मूलचंद - अनावेदकगण में पारित आदेश दि0 21/2/14 जिसके द्वारा स्व0 बारेलाल के पक्ष में स्वीकृत विवादित भूमि खसरा क. 612 रकबा 2.74 एकड स्थित ग्राम परवलिया सडक तह0 हुजूर जिला भोपाल, पटटा दि0 30/4/83 को निरस्त किया गया तथा इस पट्टे के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् जो भूमि जिन-जिन पंजीकृत विकयपत्रों के द्वारा विकय की गयी, वह विकयपत्र अवैध एवं शून्य घोषित किये गये, से दुखी होकर एवं असहमति व्यक्त करते हुए निगरानीकर्तागण निम्न वैधानिक बिन्दुओं पर यह निगरारी याचिका प्रस्तुत कर रहे हैंः-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 950-पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-2018	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला भोपाल के आदेश दिनांक 21-2-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम परवलिया सड़क तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 612 रकबा 2.74 एकड़ अनावेदक क्रमांक 2 बारेलाल (मृत) को शासन द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/अ-19/1980-81 आदेश दिनांक 30-4-1983 से पट्टे पर दी गई थी । पट्टाग्रहीता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1986-87 में बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये विक्रय किये जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 14/स्व.निग./10-11 दर्ज कर दिनांक 21-2-2014 को आदेश पारित कर पट्टाग्रहीता अनावेदक क्रमांक 2 बारेलाल (मृत) द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(2) एवं 167(7-ख) का उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त पट्टा निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, जो अभिलेख पर हैं । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि इसी तरह के अन्य प्रकरणों में कलेक्टर ने अलग मत लिया है, जिसका उनके द्वारा कलेक्टर के समक्ष तर्क लिया था, किन्तु कलेक्टर द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया । अत: प्रकरण कलेक्टर को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदकगण द्वारा जो अन्य समान प्रकरणों के आदेश प्रस्तुत किये हैं, उनके संदर्भ में वैधानिक स्थिति को देखते हुए प्रकरण का पुन: परीक्षण कर निर्णय लेवें । अध्यक्ष	